तत्काल

फा.सं. 3/8/2010-आरआरबी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2012

सेवा में,

1. अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
2. महाप्रबंधक (आरआरबी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक।

विषयः **बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से आरआरबी द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती।**

महोदय,

फिलहाल, अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जो प्रत्येक आरआरबी के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करता रहा है। इसके अलावा, इसमें लम्बी प्रक्रिया होने से प्रयासों के दोहराव तथा चयन प्रक्रिया के पूरा होने में विलम्ब होता है। मौजूदा प्रणाली में अभ्यर्थियों से बड़ी संख्या में परीक्षाओं में शामिल होना अपेक्षित होता है।

2. समय कम करने, चयन प्रक्रिया की विविधता तथा चयन प्रक्रिया में एकरुपता लाने के लिए आईबीपीएस के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि आरआरबी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती के लिए आईबीपीएस द्वारा एक सामान्य लिखित परीक्षा (कामन रिट्न टेस्ट) आयोजित की जाए। सामान्य लिखित परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंक अलग-अलग आरआरबी में अभ्यर्थियों के चयन के आधार होंगे। सामान्य लिखित परीक्षा का यह अंक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

3. नाबार्ड, आईबीपीएस तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के परामर्श से सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगा। आरआरबी के परिचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा का ज्ञान अत्यावश्यक है।

4. अलग-अलग आरआरबी लागू नियमों के अनुसार वर्ष में अनुमानित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि वे इन रिक्तियों पर चयन हेतु आईबीपीएस द्वारा आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा में अपने स्कोर के आधार पर आवेदन करें। अभ्यर्थी का अंतिम चयन संबंधित आरआरबी द्वारा संगत नियमों के तहत विनिर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया के समन्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए नाबार्ड जिम्मेवार होगा। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को पदनामित किया जाएगा।

6. उपर्युक्त व्यवस्थाएं वर्ष 2012-13 के दौरान चयन करने के लिए लागू हो जाएंगी। आरआरबी से अपेक्षित है कि वे नाबार्ड द्वारा जल्द ही अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी ओर से कार्मिकों के चयन के लिए नाबार्ड को सूचित करते हुए अपनी सहमति से आईबीपीएस को अवगत कराएं।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द आर्य)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
दूरभाषः 011-23748719

प्रति सूचनार्थ प्रेषितः

1. श्री एम. बालाचन्द्रन, निदेशक, आईबीपीएस, आईबीपीएस हाऊस, ठाकुर पालिटेकनिक के पीछे, कांदिवली (पूर्व), मुम्बई-400001
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुम्बई।
3. मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी, आरपीसीडी, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
4. मुख्य महाप्रबंधक, आईडीडी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुम्बई।

प्रतिलिपिः

वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।